

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-05/2020- 3038 व०प०, राँची, दिनांक- 07/08/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

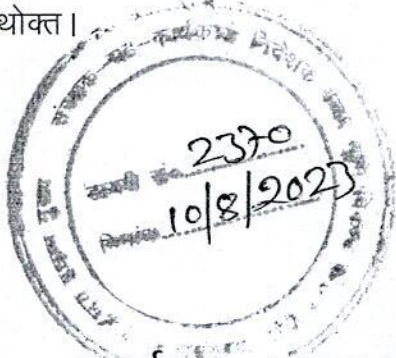
विषय :- मेसर्स पावरग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू-लातेहार ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित कुल-163.5868 हे० (लातेहार वन प्रमंडल-103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल-7.9685 हे० एवं राँची वन प्रमंडल-51.9373 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची से प्राप्त पत्र संख्या-FP/JH/TRANS/32955/2018/1291 दिनांक-20.07.2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा वांछित दस्तावेज/जानकारी Online अपलोड करते हुए विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।



विश्वासभाजन

(Handwritten signature)
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

ज्ञापांक 846.

दिनांक 16/8/2023

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / पलामू/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/राँची/बोकारो/वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़/लातेहार/राँची/प्रबंधक पावरग्रिड, नामकुम राँची को भारत सरकार के पत्रांक 1291 दिनांक 20.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची द्वारा मांगी गयी वांछित प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(Handwritten signature)
उप निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हर्मु चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: FP/JH/TRANS/32955/2018/1291

दिनांक: 20.07.2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

झारखण्ड सरकार,

नेपाल हाउस, राँची - 834002.

विषय : मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 K.V. D/C पतरातू-लातेहार ट्रांसमिशन लाइन निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० (लातेहार वन प्रमण्डल -103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमण्डल -7.9685 हे० एवं राँची वन प्रमण्डल -51.9373 हे०) वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयक आपका पत्र संख्या-वन भूमि-05/2020-1724/व.प. दिनांक 20.06.2022 एवं पत्र संख्या-वन भूमि-05/2020-2226/व.प. दिनांक 14.06.2023 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में अभी भी निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- As per the DSS analysis it is found that alignments of the uploaded KML file of the three divisions do not match with each other and also are not congruent with the installed towers (apparently installed over forest land in violation of FCA). Therefore, it may be reexamined and correct KML file may be uploaded.
- The total no of trees enumerated in forest land proposed for diversion is 15354 but conventionally they all would not require felling. Therefore, number of trees proposed for felling, trimming and translocation may be informed.
- The CA scheme (with 10 years of maintenance) provided under Latehar FD has not been uploaded on the online application. Also, around 60Ha of forest proposed for CA are already high on vegetative index, therefore, appropriate area should be identified for the purpose.
- The alternative routes of transmission line are not legible, the kml of these routes too may be submitted.
- As per online application, total temporary employment is 600000 whereas total employment mention in Cost Benefit (CB) analysis is 120000. It may be clarified. Also, the rates eg. NPV, daily wage etc. taken for CB estimation is old, present rate may be incorporated to assess the CB Ratio.
- As per DSS analysis, it appears that the proposed forest land for diversion has been violated by User Agency. But only Latehar forest division has reported violations whereas apparently the violation has also happened in Ramgarh & Ranchi Forest Division which requires filed verification. If, violation is done, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation of why forest department could not assess the violation (Ramgarh & Ranchi FD) while processing the application. Therefore, fresh site inspection report by the concerned DFOs become imperative.

अपर मुख्य सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

राँची

3718

25 JUL 2023

झारखण्ड, राँची

vii) The proposal is already more than four years old, it is pertinent that the required Wildlife Management Plan and Soil Conservation Plan must have been made ready by user agency. Therefore, copy of the plans may be also uploaded on the online application.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित किया जाय।

विश्वसभाजन

Signed by Sheshi Shankar

Pathak (शशि शंकर)

Date: 20-07-2023 11:51:56

सहायक वन अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची।

Dated by the

any, shall be